

प्रमाण (ओ)

1 (6) (23) 1/73

विजति

21.4.73

जु कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में श्रमदा उस पर सरकार के और प्राईवेड व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 28 की उप-धारा (3) के अधिन आती की गई विजति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः यह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के माध्यम 4 के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	धर्म-खण्ड	श्रीजा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

जयपुर नर्मदाथाना गाँवडी

सीकर कोटपूतली सं० 84

श्रीमाधोपुर

✓ डोमन

128.34

✓ खड्ग बीजपुर

1019.30

✓ मोरवावा

348.46

✓ दरिवा

4182.30

✓ नारदा

910.12

✓ नागवावा

483.83

✓ रायपुर

104.13

✓ गाढराया

83

✓ कुण्डाला

000.88

✓ टोडा

8834.64

✓ जेतपुरा

1280.45

✓ डादीकावावा

1104.09

✓ कालाखेडा

83.13

✓ चूम्डला

1481.83

✓ जोमगोर

000.21

✓ दुदावावा

001.03

✓ खोवारा

228.88

✓ किसानपुरा

980.30

✓ रामल्यावावा

292.98

रा० मु० उ० ४६६-३-१५-१००० फी०

२२२१५.३९

(श्रीमाधोपुर)

राजस्थान सरकार

क० मु० उ० ४६६-३-१५-१००० फी०

प्रपत्र (अ०)

विज्ञप्ति

कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में संवदा-उत्पन्न पर सरकार के और प्राद्वित व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की बाँव और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजपत्र अधिनियम संख्या १३) की धारा २६ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब सम्बन्धित अधिनियम की धारा २६ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अन्वय में के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वर्ग-एकड़	शोबा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष-विवरण
१	२	३	४	५	६
जयपुर	मीरकाथाना	गांवडी		१२८१५.३९	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है
सीकर	कोटपूतली	सं० ६४			
	श्रीमाधोपुर				
			घाटागनकर	१५४६.१३	६३५.६०
			चौपलाटा	३३४६.८८	१३८११.५०
			दीवावास	१५७.००	१०११.००
			तुहारवास	१३४२.८५	५७३.८०
			म. रिण्डा	६४७.०६	२६१.८०
			मोकलवास म. रिण्डा	६४९.६३	३६०.९०
			गणेशकर	६८८०.३३	३७१५.००
			खिरीटी मन्दरपुरा	८०१.५०	३३५.५०
			भुरानपुरा	१०५.६९	२०५.५०
			रूपपुरा उदलवास	१४४.१६	१४.८०
			भगाहली	१४५.१६	६४.७०
			पीथमपुरी	१३४४.०६	५६०.००
			छापर	८४८.१३	३३६.००
			भूदोली	५८.३४	२३.६०
			गांवडी	६०३८.७६	५५५३.००
			मीरकाद	१७६५.३१	७७८.००

४९१६६.६० एकड़

अर्थात: ४९१६६ वर्ग किलो मीटर
२००

कार्यालय वन बन्दोवस्त/सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी,

खसरा बन्दोवस्त बावत वन-खण्ड डावडी ६८ रेन्ज जीम खोटा

नाम ग्राम चीपलारा तहसील जीम का पाठा जिला सोनबर

फार्म (बी)

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	हिस्म बमीन	खातिदार अथवा शिकमी खातिदार का नाम	विशेष विवरण
१	२	३	(रजिस्ट्रार के हस्त लिखित रिपोर्ट)	४
१२२	७०/२	जी. गु. महाड	शिकमी	
२	१६॥१	५	५	
३	११॥४	५	५	
४	७॥३	५	५	
५	१४॥१	५	५	
६	२३	५	५	
१२७	१५॥	जी. गु. महाड	५	
१२८	२३/३	५	५	
१२९	३१॥२	५	५	
१३०	२८॥	५	५	
१३१	१	५	५	
३२८	३८॥	जी. गु. महाड	५	
३२९	२९॥३	५	५	
३३०	२७	५	५	
३३१	१८॥	५	५	
३३२	३७॥	५	५	
३३३	२४॥	५	५	
६०४	८१॥२	५	५	
६०५	७४॥४	५	५	
५१५॥१		५	५	
६१५		५	५	

(भीमा राव चौधरी)
उप वन संरक्षक
सीकर

P.T.O.